



The Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog (Amendment) Adhiniyam, 2018

Act 22 of 2018

Keyword(s):
Rajya Vitta Ayog

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 16, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 8919/डी. 164/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27-08-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 7 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- “7. आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, राज्यपाल द्वारा उनके नियुक्ति आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेंगे. राज्यपाल द्वारा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की पदावधि में वृद्धि की जा सकेगी तथा अध्यक्ष/सदस्य, पुनर्नियुक्ति के लिए अनर्ह अथवा अयोग्य नहीं होंगे :
- परन्तु यह कि अध्यक्ष/सदस्य, राज्यपाल को लिखित में संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे.”

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 8919/डी. 164/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-09-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 22 of 2018)

THE CHHATTISGARH RAJYA VITTA AYO (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2018

An Act to further amend the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog (Amendment) Adhiniyam, 2018. | Short title and commencement. |
| | (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | For Section 7 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the following shall be substituted, namely :- | Amendment of Section 7. |
| | “7. Chairman and every Member of the Commission shall hold office for the period as specified by the Governor in their appointment order. Tenure of office of the Chairman or any member may be extended by the Governor, as and when necessary, and the Chairman/Member shall not be ineligible or unqualified for re-appointment :

provided that the Chairman/Member may, by letter addressed to the Governor in writing, resign his office.” | |